

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० -57 / 2022(2022 / 00094)

अनवान : -

श्रवण पुत्र भानीदास जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. भानीदास पुत्र हरजीदास जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. शेरसिंह पुत्र भानीदास जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. बालादेवी पुत्री भानीदास पत्नी गौरीशंकर जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सुरतगढ़।
4. सरोजदेवी पुत्री भानीदास पत्नी राकेश जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सुरतगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण



दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री श्रवण सहारण वादी अधिवक्ता
श्री सर्वजीत कौर प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक : 29/04/2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बारानी के खाता संख्या 148/125 के मु० न० 67 के किला न० 21, 22, 23, मु० न० 70 के किला न० 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल 5.566 हैक्टेयर जिसमें बारानी 5.528 है० गैर मुमकिन रास्ता 0.038 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 भानीदास के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 एनटीआर के खाता संख्या 199/178 के मु० न० 58 के किला न० 16/1, 16/2, 17 ता 19, 22 ता 24, 25/1, 25/2, मु० न० 59 के किला न० 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 18 ता 23, मु० न० 73 के किला न० 1, 2, 3, 8 ता 10, 12, 13 इस प्रकार कुल किता 30 की कुल 6.325 हैक्टेयर जिसमें नहरी 4.731 है० बारानी 1.505 है० गैर मुमकिन खाला 0.050 है० गैर मुमकिन रास्ता 0.039 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 भानीदास के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मितक्षरा पद्धति से शासित होते हैं। वाद भूमि पहले वादी के दादा हरजीदास की खातेदारी हुआ करती थी। हरजीदास से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी भानीदास ने कर्ता खानदान होने

के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्ड से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी शानीदास के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।


उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जददी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 शानीदास को वादी के दादा हरजीदास से विरासतन प्राप्त हुई है। जमाबन्दी चक 1 बारानी सड्वत 2074-77 के खाता संख्या 140/125, नामान्तरण रजिस्टर चक 3 एनटीआर ईन्तकाल संख्या 940 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्ड से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया, जो तसदीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट का जवाब प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी श्रवण पुत्र शानीदास जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 1 बारानी सड्वत 2074-77 खाता संख्या 148/125 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 3 एनटीआर एएमएस सड्वत 2075-78 खाता संख्या 199/178 प्रदर्श 2, दादालाई हेतु जमाबन्दी चक 1 बारानी सड्वत 2074-77 खाता संख्या 140/125 प्रदर्श 3, ईन्तकाल रजिस्टर चक 3 एनटीआर ईन्तकाल संख्या 940 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र हेतु शपथ पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 1 बारानी के खाता संख्या 148/125 के मु० न० 67 के किला न० 21, 22, 23, मु० न० 70 के किला न० 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2 इस प्रकार कुल कित्ता 25 की कुल 5.566 हैक्टेयर जिसमें बारानी 5.528 है० गैर मुडकिन रास्ता 0.038 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शानीदास के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 एनटीआर के खाता संख्या 199/178 के मु० न० 58 के किला न० 16/1, 16/2, 17 ता 19, 22 ता 24, 25/1, 25/2, मु० न० 59 के किला न० 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 18 ता 23, मु० न० 73 के किला न० 1, 2, 3, 8 ता 10, 12, 13 इस प्रकार कुल कित्ता 30 की कुल 6.325 हैक्टेयर जिसमें नहरी 4.731 है० बारानी 1.505 है० गैर मुडकिन खाला 0.050 है० गैर मुडकिन रास्ता 0.039 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 शानीदास के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।


अपघण्डाधिकारी (राजस्व),
भादम (जिला-हनुमानगढ़)

जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बारानी के खाता संख्या 148/125 के मु0 न0 67 के किला न0 21, 22, 23, मु0 न0 70 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल 5.566 हैक्टेयर जिसमें बारानी 5.528 है0 गैर मुमकिन रास्ता 0.038 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 भानीदास के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 एनटीआर के खाता संख्या 199/178 के मु0 न0 58 के किला न0 16/1, 16/2, 17 ता 19, 22 ता 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 59 के किला न0 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 18 ता 23, मु0 न0 73 के किला न0 1, 2, 3, 8 ता 10, 12, 13 इस प्रकार कुल किता 30 की कुल 6.325 हैक्टेयर जिसमें नहरी 4.731 है0 बारानी 1.505 है0 गैर मुमकिन खाला 0.050 है0 गैर मुमकिन रास्ता 0.039 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 भानीदास के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उसमें वादी श्रवण व प्रतिवादी संख्या 1 भानीदास, प्रतिवादी संख्या 2 शेरसिंह, प्रतिवादी संख्या 3 बालादेवी, प्रतिवादी संख्या 4 सरोजदेवी को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/04/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भारत जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० -57 / 2022(2022 / 00094)

अनवान : -

श्रवण पुत्र भानीदास जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. भानीदास पुत्र हरजीदास जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. शेरसिंह पुत्र भानीदास जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. बालादेवी पुत्री भानीदास पत्नी गौरीशंकर जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सुरतगढ़।
4. सरोजदेवी पुत्री भानीदास पत्नी राकेश जाति स्वामी निवासी नेठराना तहसील भादरा हाल निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सुरतगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शंकुतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण व वकील प्रतिवादीगण सुश्री सरबजीत कौर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बरानी के खाता संख्या 148/125 के मु० न० 67 के किला न० 21, 22, 23, मु० न० 70 के किला न० 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल 5.566 हैक्टेयर जिसमें बरानी 5.528 है० गैर मुमकिन रास्ता 0.038 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 भानीदास के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 एनटीआर के खाता संख्या 199/178 के मु० न० 58 के किला न० 16/1, 16/2, 17 ता 19, 22 ता 24, 25/1, 25/2, मु० न० 59 के किला न० 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 18 ता 23, मु० न० 73 के किला न० 1, 2, 3, 8 ता 10, 12, 13 इस प्रकार कुल किता 30 की कुल 6.325 हैक्टेयर जिसमें नहरी 4.731 है० बरानी 1.505 है० गैर मुमकिन खाला 0.050 है० गैर मुमकिन रास्ता 0.039 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 भानीदास के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उसमें वादी श्रवण व प्रतिवादी संख्या 1 भानीदास, प्रतिवादी संख्या 2 शेरसिंह, प्रतिवादी संख्या 3 बालादेवी, प्रतिवादी संख्या 4 सरोजदेवी को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/04/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(शंकुतला चौधरी) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़